न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04/2018
प्रविष्टि दिनांक 11.10.2018

1–रामधन पुत्र स्व0 जगदीश जाति जाट निवासी पालडी तहसील व जिला टोंक राज0
2–सुमित्रा पुत्री स्व0 जगदीश जाति जाट निवासी पालडी तहसील व जिला टोंक राज0
3–सुशीला पुत्री स्व0 जगदीश जाति जाट निवासी पालडी तहसील व जिला टोंक राज0
4–मु.काली पत्नि स्व0 जगदीश जाति जाट निवासी पालडी तहसील व जिला टोंक राज0
5–श्योराम पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी पालडी तहसील व जिला टोंक राज0
6–महराम पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी पालडी तहसील व जिला टोंक राज0
7–दयाराम पुत्र रामदेवा जाति जाट निवासी पालडी तहसील व जिला टोंक राज0
8–बदाम पुत्री रामदेवा जाति जाट निवासी पालडी तहसील व जिला टोंक राज0

.... प्रार्थीगण

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री कृष्ण गोपाल शर्मा,अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री रामधन सैनी व श्री दीपक शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 13.03.2024

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम उस्मानपुरा वीरान तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 15 में 14300 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा माल–2 का निर्धारण किया गया है। अतः अवार्ड दिनांक 08.07.2010 को निरस्त कर अवाप्त शुद्वा भूमि का सिचिंत भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 978/09 दिनांक 08.07.2010 तलब की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया कि [illegible] राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 15 मे से रकबा [illegible]0 वर्गमीटर वाके ग्राम उस्मानपुरा वीरान मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का [illegible]नेयम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को [illegible] के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई [illegible]ते प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी [illegible] गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण को [illegible]स जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। [illegible]म प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव [illegible] पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का [illegible]ारण किया गया है। जमीन की किस्म माल–2 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। [illegible]र्थीगण सिचिंत भूमि की दर से मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नही है। [illegible]धेसूचना के समय भूमि की जो किस्म जमाबंदी मे अंकत थी,उसी के अनुरुप [illegible]आवजा निर्धारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर [illegible]खते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। [illegible]जवाब/बहस व अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 14.02.2024 को प्रस्तुत दस्तावेजात [illegible]का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 978/2009 दिनांक 08.07.2010 से प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 15 अवाप्त रकबा 14300 वर्गमीटर किस्म माल–2 का डी.एल.सी. दर से ग्राम उस्मानपुरा वीरान का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। खसरा गिरदावरी सम्वंत 2065 वाके ग्राम उस्मानपुरा वीरान तहसील टोंक मे उक्त भूमि असिचिंत दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा सिचिंत भूमि का मुआवजा चाहा गया है। प्रार्थीगण को सिचिंत भूमि बाबत दस्तावेजात प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी इसकी तायद मे अन्य कोई साक्ष्य-सबूत पेश नहीं किया है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा नियमानुसार अवार्ड पारित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 13.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
आर्बीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)